UPBS120001102022

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 91/2022

बुझारत बनाम शान्ति देवी आदि

18.02.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र कागज सं० 6ग२ पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि अक्षरान अ,ब,स,द,य,र प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र एवं उसमें स्थित मकान, सहन, अगवारा–पिछवारा, बांस खूंटी आदि के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादी द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 11ग1 द्वारा नकल दस्तावेज बैनामा कागज सं० 12ग1/1 लगायत 12ग1/20, नकल दस्तावेज बैनामा कागज सं० 13ग1/1 लगायत 13ग1/21, नकल खतौनी कागज सं० 17ग1, नक्शा कागज सं० 18ग1, नकल खसरा कागज सं० 21ग1 दाखिल किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दस्तावेज बैनामा की मंसूखी एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग2 दिनांक–04.03.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8ग2

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 8ग2 प्रतिवादीगण पर नोटिस का तामीला जरिए विशेष वाहक कराये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 9ग2

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 9ग2 विवादित भूमि का नक्शा एवं आख्या जरिए अदालत अमीन मंगवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद के निस्तारण में अमीन रिपोर्ट व नक्शा सहायक होगा। अतः प्रार्थनापत्र 9ग2 स्वीकार किया जाता है। अदालत अमीन को परवाना जारी हो। वादी पैरवी करे।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।